

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जगपुर

फॉर्माट : एफ. 4 (52) अंग्रेजी/ग्रन्त/समा/२०१८-

Figure 13 | 34201

आदेश

निम्नलिखित भट्टाचार्यालय को अपने द्वारा प्रदत्त अनुसूचित के अनुसार अग्रहार्थी, दरम 2011-12 से मूर्ति एवं शास्त्रिय संकायी/विद्यार्थी में खार्ड अवालोत्प्रभारी-पद नियमित अन्ती के लिए प्रदान गिरिया जाता है-

क्र. सं.	परिवार का नाम	स्थानिकता का नाम	विद्युत का स्थानिकता का नाम	विद्युत का स्थानिकता का नाम
१. ५	बगल महेश्वर महाप्रभुदेव	बगल बगल, प्रगति सेक्टर, प्रगति डिस्ट्री-जायपुर	विद्युत बगल, जायपुर	विद्युत बगल, जायपुर

ग्रन्थालय

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

DRAFT-17-November-2013

प्राचार्य
हरदाम गोपनीया पी. जी. महाविद्यालय
काशी नगर, वाराणसी

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (725) आकाशि/नि.सं./2007/ ।।।

आदेश

दिनांक:- ५/६/१७

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्ण संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

ग्रन्थालय का नाम व पता	संघर्षक विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
बगल महिला पी.जी. महाविद्यालय, बड़ी का खेड़ा, बौरा रोड, बगल, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर- वाणिज्य संकाय- ए.वी.एस.टी. ईएफएम. व्यावसायिक प्रशासन। स्नातकोत्तर स्तर पर- कला संकाय- राजनीति विज्ञान, भूगोल।

- संबोधित विश्वविद्यालय एवं वी०सी०आई०से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व संख्य संसदा का होगा।
- संख्या महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू०जी०सी. अहृताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित भागदण्डनुसार अशैक्षिक रूपाफ की प्रियुषित के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालन करेगी।
- राज्य सरकार संख्या को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संख्या को समय-2 पर यू०जी०सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करेगी होगी।
- राज्य द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संख्या अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के अनुसार उपवन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संख्या को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संख्या द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी नीतिलंब करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संख्या को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संख्या को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को वी०सी०आई० के नियमों की नियन्त्रण अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- राज्य प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से संख्याकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संख्या महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देनी।
- गानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल eishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करकार DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। करकार इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर गानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकारित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूखनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- विशिष्ट संहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - गिजी संचिय, अति० मुख्य संचिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, जयपुर।
 - कुल संचिय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - संचिय, संबोधित महाविद्यालय।
 - संचियकी शास्त्रा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - राजेता पत्रावली

अ.ज. १८
संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

राजस्थान सरकार

(22)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ४ ()आकाशि/भि.सं./2007/134

क्रमांक: एफ४ ()आकाशि/भि.सं./2007/ १३५

दिनांक:- २५-२-१०

3

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा लत्सबद्धि नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निझी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातक व स्नातकोत्तर सत्र पर नवीन पूर्वसंचालित संकाय /विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।

संघर्षात्मक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्वसंचालित संकाय व विषय
चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति, बगलु, जयपुर।	बगल महिला पी.जी. महाविद्यालय, बड़ी का खेडा, बेगस रोड, बगलु, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक व स्नातकोत्तर पर नवीन संकाय- विज्ञान संकाय- प्राणिशास्त्र, वनरप्तिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित। स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय- एम.ए- इतिहास, हिन्दी साहित्य।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा घाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 6. संस्था द्वारा सावधि जामा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 7. संस्था महाविद्यालय में अव्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अरौलिंगिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों को पालना करेगी।
 8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व मविधि में इस हेतु कोई लितीय सहायता नहीं देगी।
 9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांखियकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्वार्थी अनापूर्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जागुपत

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 - निजी संचिव, अति० मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 - जिला कलेक्टर, जयपुर ।
 - कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
 - संचिव, सत्वनिधि त महाविद्यालय ।
 - सांगियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 - रक्षित पत्रावली

१८८०